भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3181

दिनांक 09 अगस्त, 2024 को उत्तर के लिए

राजस्थान में मिशन वात्सल्य का प्रभाव

3181. श्री दुष्यंत सिंहः

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी किः

(क) झालावाड़-बारां, राजस्थान सहित देश में मिशन वात्सल्य को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों, इसके घटकों और इसके प्रमुख उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) झालावाड़-बारां, राजस्थान के विशेष संदर्भ में उक्त मिशन के अंतर्गत पंजीकृत बच्चों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या मिशन वात्सल्य योजना कठिन परिस्थितियों में बच्चों के लिए सहायता और पालन-पोषण की सुविधा प्रदान करती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रक्रिया में बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) और प्रायोजन एवं पालन-पोषण अनुमोदन समिति (एसएफसीएसी) की क्या भूमिका है; और

(ङ) क्या सरकार ने देश के विभिन्न जिलों में मिशन वात्सल्य के अंतर्गत बाल कल्याण पहलों के कार्यान्वयन और निगरानी को मजबूत करने, विशेष रूप से बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी) का प्रभावी कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए कोई उपाय किए हैं, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) : मिशन वात्सल्य केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जिसे देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों तथा कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए सेवाएं प्रदान करने जिनमें संस्थागत देखरेख और गैर-संस्थागत देखरेख घटक शामिल हैं, के लिए केन्द्र और राज्यों के

बीच लागत साझेदारी आधार पर राजस्थान सहित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत स्थापित बाल देखरेख संस्थाएं अन्य बातों के साथ-साथ आयु-उपयुक्त शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श आदि में सहयोग प्रदान करती हैं। गैर-संस्थागत देखरेख के अंतर्गत सहायता देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों को प्रायोजन, पालन-पोषण और पश्चात देखरेख के माध्यम से प्रदान की जाती है।

मिशन वात्सल्य का मुख्य उद्देश्य परियोजनाओं और कार्यक्रमों को डिजाइन या कार्यान्वित करते समय बच्चे के सर्वोत्तम हित को बढ़ावा देना और परिवारों की सहायता करने के लिए मजबूत सामाजिक सुरक्षा जाल के साथ खुशहाल पारिवारिक वातावरण में बढ़ने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई करना है।

झालावाड़ और बारां जिले सहित राजस्थान में दिनांक 31.03.2024 तक 33 बाल कल्याण समितियां, 34 किशोर न्याय बोर्ड और 33 जिला बाल संरक्षण इकाइयां गठित की गई हैं।

मिशन वात्सल्य योजना को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:

मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मिशन वात्सल्य के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए समय-समय पर विभिन्न दिशा-निर्देश और परामर्श जारी किए हैं। इनमें मिशन वात्सल्य दिशानिर्देश, चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं, मॉडल फोस्टर केयर दिशानिर्देश 2024 आदि शामिल हैं।

मंत्रालय ने मिशन वात्सल्य योजना के प्रारंभ से ही इस योजना को बढ़ावा एवं प्रभावी कार्यान्वयन के लिए क्षेत्रीय सम्मेलन तथा सुग्राहीकरण/प्रसार कार्यशालाएं आयोजित की हैं। मंत्रालय योजना के कार्यान्वयन के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित रूप से बातचीत भी करता है।

मिशन वात्सल्य योजना के तहत की गई पहलों में "संवाद" (कमजोर परिस्थितियों और संकट में बच्चों के लिए सहायता, वकालत और मानसिक स्वास्थ्य कार्यकलाप) के तहत राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निमहांस), बैंगलोर के साथ सहयोग शामिल है। संवाद मानसिक स्वास्थ्य, देखभाल और संरक्षण, शिक्षा तथा नीति और कानून के

क्षेत्रों में काम करता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बाल संरक्षण कार्यकर्ताओं और अन्य हितधारकों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

इसके अलावा, मंत्रालय ने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए), मसूरी के सहयोग से किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 पर एक ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल बनाया है ताकि राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, जिला प्राधिकरणों और अन्य कई हितधारकों का क्षमता निर्माण किया जा सके।

(ख) : मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त बच्चों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **अनुलग्नक** में दी गई है। राजस्थान राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, राज्य में बाल देखरेख संस्थाओं में 3597 बच्चे पंजीकृत तथा मौजूद हैं और बारां जिले में 54 बच्चे और झालावाड़ जिले में 66 बच्चे पंजीकृत हैं।

(ग) और (घ) : किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (धारा 2(29)) में बच्चों की देखभाल का प्रावधान है और धारा 44 में बच्चे के जैविक परिवार के अलावा परिवार के घरेलू वातावरण में वैकल्पिक देखभाल के उद्देश्य से बच्चे के प्लेसमेंट का अधिदेश दिया गया है।

मिशन वात्सल्य योजना के दिशानिर्देशों में प्रायोजन और पालक देखभाल मामलों को लागू और निगरानी करने के लिए प्रत्येक जिले में एक प्रायोजन और पालक देखभाल अनुमोदन समिति (एसएफसीएसी) का प्रावधान है। एसएफसीएसी सीडब्ल्यूसी से अनुशंसा प्राप्त होने पर प्रायोजन की स्वीकृति प्रदान करती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, मिशन वात्सल्य योजना के तहत प्रायोजन और पालक देखभाल सहित गैर-संस्थागत देखभाल के तहत कुल 1,21,861 बच्चों की सहायता की गई।

(ड.) : किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 में प्रत्येक जिले में एक बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) की स्थापना का प्रावधान है जिसे देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों (सीएनसीपी) के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए उनके संबंध में निर्णय लेने का अधिकार है। उन्हें बाल देखभाल संस्थानों (सीसीआई) (जेजे अधिनियम की धारा 27-30) के कामकाज की निगरानी करने का भी अधिदेश दिया गया है। किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अनुसार, बाल कल्याण समिति को देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की आवासीय सुविधाओं का

प्रति माह कम-से-कम दो निरीक्षण दौरे करने तथा जिला बाल संरक्षण इकाई और राज्य सरकार (धारा 30 (viii)) को सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कार्रवाई की सिफारिश करने का अधिदेश दिया गया है। किशोर न्याय बोर्ड को कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों की आवासीय सुविधाओं का प्रतिमाह कम-से-कम एक निरीक्षण दौरा करने तथा जिला बाल संरक्षण इकाई और राज्य सरकार को सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कार्रवाई की सिफारिश करने का अधिदेश धारा 8 (जे) के तहत दिया गया है। इसके अतिरिक्त, किशोर न्याय अधिनियम की धारा 109 के अनुसार, केन्द्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य स्तर पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोगों को किशोर न्याय अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन की निगरानी करने का अधिदेश दिया गया है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न परामर्श जारी किए हैं कि किशोर न्याय अधिनियम, 2015 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत सीसीआई में बच्चों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

*****

अनुलग्नक

राजस्थान में मिशन वात्सल्य के प्रभाव के संबंध में श्री दुष्यन्त सिंह द्वारा दिनांक 09.08.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3181 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

वर्ष 2023-24 के दौरान राजस्थान सहित मिशन वात्सल्य योजना के तहत संस्थागत देखभाल और गैर-संस्थागत देखभाल में सहायता प्राप्त बच्चों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संस्थागत देखभाल में सहायता प्राप्त बच्चों की संख्या	गैर-संस्थागत देखभाल में सहायता प्राप्त बच्चों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	1546	10000
2	अरुणाचल प्रदेश	206	1719
3	असम	1241	1919
4	बिहार	2227	4001
5	छत्तीसगढ़	1843	1137
6	गोवा	461	62
7	गुजरात	3195	450
8	हरियाणा	963	643
9	हिमाचल प्रदेश	926	1352
10	जम्मू और कश्मीर	1104	4024
11	झारखंड	1238	4629
12	कर्नाटक	3110	12449
13	केरल	776	1455
14	मध्य प्रदेश	2597	13715
15	महाराष्ट्र	3495	21680
16	मणिपुर	2295	1288
17	मेघालय	1031	1083
18	मिजोरम	1172	1516
19	नागालैंड	562	779
20	ओडिशा	4431	3697
21	पंजाब	533	4150
22	राजस्थान	2733	933
23	सिक्किम	468	460

24	तमिलनाडु	10118	5411
25	तेलंगाना	2243	4858
26	त्रिपुरा	948	1373
27	उत्तर प्रदेश	3226	10000
28	उत्तराखंड	589	1817
29	पश्चिम बंगाल	4744	2750
30	अंडमान और निकोबार	274	1
31	चंडीगढ़	222	309
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	36	984
33	लद्दाख	84	411
34	लक्षद्वीप	0	0
35	दिल्ली	1216	635
36	पुद्दुचेरी	739	171
कुल		**62592**	**121861**

*****